UPSI180001812012

न्यायालय Civil Judge Junior Division, Mahmudabad, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Mayank Prakash), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02293

मूलवाद सं० - Civil Suit/179/2012

विशम्भर दयाल आदि बनाम सियाराम आदि

दिनॉक–02.03.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिवादी स्वंय उपस्थित आये। वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 47क नियत है।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 47क2

वादीगण द्वारा प्रा0 पत्र 47क बाबत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद में कमीशन आख्या के अनुसार वाद–पत्र में विवादित भूमि की लम्बाई–चौड़ाई दुरूस्त करके लिखे जाने की आवश्यकता है। इस कारण वादीगण को वाद–पत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति 49ग प्रस्तुत करके यह कथन किया गया कि प्रार्थना–पत्र वादीगण विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। वाद में सर्वे कमीशन हो चुका है तथा सर्वे आख्या की पुष्टि हो चुकी है। सर्वे रिपोर्ट में जो लम्बाई–चौडाई वादीय भूमि की अंकित की गयी है, उसके अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। अतः संशोधन स्वीकार्य नहीं है एवं संशोधन प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाय।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादीगण द्वारा कमीशन आख्या के अनुसार वाद–पत्र में संशोधन की याचना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभी वाद में पक्षकारों की साक्ष्य आना शेष है। याचित संशोधन स्वीकार हो जाने से पक्षकार उसपर अपनी–अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है। जहॉ तक विलम्ब का सम्बन्ध है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। इस कारण प्रार्थना–पत्र 47क हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 47क मु0–200/– रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। बाद अदायगी हर्जा संशोधन अन्दर सप्ताह हो। प्रतिवादीगण की आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त तनकीह दिनांक 20.04.2021 को पेश हो।

दिनांकः 02.03.2021

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (जू0डिवी0)
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code-UP-2293

अजय/–

Digitally signed by Mayank Prakash
Date: 2021.03.02 16:52:34 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.